क्रम-संख्या—586

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 20 सितम्बर, 1982

भाद्रपद 29, 1904 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग–1

संख्या 2646/सत्रह–वि0–1–1 (क)–5-82

लखनऊ, 20 सितम्बर, 1982

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982 पर दिनांक 9 सितम्बर, 1982 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1982 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1982

(**उत्तर प्रदेश** अधिनियम संख्या 25 सन् **1982**)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 और उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुन: अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1982 कहा जायगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) धारा 2, 3 और 4 के उपबन्ध 29 दिसम्बर, 1981 से प्रवृत्त समझे जायेंगे और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 50 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 50 में,--

(क) उपधारा (1-क) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1981" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1982" रख दिये जायेंगे; और

(ख) उपधारा (2) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1981" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1982" रख दिये जायेंगे।

धारा 73 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 73 में, उपधारा (1) में, उसके परन्तुक में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1981" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1982" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 की धारा 28 का संशोधन

4--उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 28 में, उपधारा (1) में, उसके परन्तुक में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1981" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1982" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

5--(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम या धारा 4 में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उपर्युक्त अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

गंगा बख्श सिंह,

सचिव।

No. 2646(2)/XVII-V—1—1(Ka) 5-82

Dated Lucknow, September 20, 1982

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1982 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 25 of 1982) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 9, 1982:

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 1982

(U. P. Act No. 25 of 1982)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 *and the Uttar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act,* 1974

It is hereby enacted in the Thirty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Act, 1982.

(2) The provisions of sections 2, 3 and 4 shall be deemed to have come into force on December 29, 1981 and the remaining provisions shall come into force at once.

2. In section 50 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act,—

Amendment of section 50 of President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U. P. Act no. 29 of 1974.

(*a*) in sub-section (1-A), *for* the word and figures "December 31, 1981", the word and figures "December 31, 1982" shall be *substituted*, and

(*b*) In sub-section (2), *for* the word and figures "December 31, 1981", the word and figures "December 31, 1982" shall be *substituted*.

3. In section 73 of the principal Act, in sub-section (1), in the proviso thereto, *for* the word and figures "December 31, 1981", the word and figures "December 31, 1982" shall be *substituted*.

Amendment of section 73.

4. In section 28 of the Uttar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act, 1974, in sub-section (1), in the proviso thereto, *for* the word and figures "December 31, 1981", the word and figures "December 31, 1982" shall be *substituted*.

Amendment of section 28 of U. P. Act no. 29 of 1974.

5. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) (Second) Ordinance, 1982, is hereby repealed.

Repeal and savings.

...P. ...ance 19 of ...982.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act or the Act referred to in section 4 as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of those Acts as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

G. B. SINGH,

Sachiv.